



2026:AHC-LKO:19311

इलाहाबाद उच्च न्यायालय**लखनऊ****आपराधिक अपील सं. - 684/2026**

छोटाकन्नु उर्फ अजय कुमार दीक्षित

.....अपीलकर्ता (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य, अपर प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उत्तर प्रदेश के माध्यम से
लखनऊ और अन्य।

... प्रतिवादी (गण)

अपीलकर्ता (गण) के अधिवक्ता	:	विश्वास शुक्ला
प्रतिवादी (गण) के अधिवक्ता	:	शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं. - 27**माननीय न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्र**

1. विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, हरदोई के विद्वान न्यायालय द्वारा दिनांक 16.02.2026 को पारित विवादित आदेश के विरुद्ध यह तत्काल आपराधिक अपील दाखिल की गई है। यह आदेश विशेष शिकायत वाद सं. 596/2019 "प्रदीप बनाम चंदन लाल दीक्षित और अन्य" में पारित किया गया था। यह मामला, अपराध वाद सं. 963/2010 से उत्पन्न हुआ है, जो भारतीय

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



दंड संहिता की धारा 147, 148, 149, 504, 506, 307 तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(2)(वी) के अंतर्गत पुलिस थाना अतरौली, जिला हरदोई में दर्ज किया गया था; जिसके द्वारा अपीलकर्ता द्वारा दाखिल आवेदन सं. 39बी को अस्वीकृत कर दिया गया है।

2. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया और अभिलेख का अवलोकन किया गया।

3. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह निवेदन किया है कि प्रस्तुत मामले में, उक्त आपराधिक वाद की जाँच के बाद दो बार अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, जिसमें अपीलकर्ता और तीन अन्य व्यक्ति अभियुक्त हैं। दूसरी अंतिम रिपोर्ट अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रस्तुत की गई थी, जिसमें उन्होंने यह निष्कर्ष दिया है कि घटना की तिथि को मुख्य अभियुक्त लखनऊ बार के बार एसोसिएशन चुनाव में एक उम्मीदवार के रूप में खड़ा था, और अपीलकर्ता का नाम इस वाद में 'गुटबंदी' तथा ग्राम प्रधान चुनाव के कारण हुई आपसी शत्रुता के चलते गलत तरीके से शामिल किया गया था। घटना स्थल पर उसकी उपस्थिति नहीं पाई गई थी।

4. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह दलील दी है कि जाँच के दौरान, अपीलकर्ता और सह-अभियुक्त की घटनास्थल पर उपस्थिति उनके सी.डी.आर और मोबाइल फ़ोन की स्थिति के आधार पर साबित हुई थी। यद्यपि, शिकायतकर्ता ने अंतिम रिपोर्ट के विरुद्ध एक

विरोध याचिका दाखिल की थी, जिसे विद्वान विचारण न्यायालय ने दिनांक 11/11/2019 के आदेश के माध्यम से स्वीकार कर लिया था, और अपीलकर्ता सहित सभी अभियुक्तों को उक्त आरोपों पर विचारण का सामना करने के लिए तलब किया गया था। विद्वान विचारण न्यायालय ने जाँच के दौरान दर्ज किए गए मुखबिर, उसकी माँ शकुंतला देवी और भाई बाचेलाल के बयानों पर भरोसा किया था, जबकि स्वतंत्र साक्षियों ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अंतर्गत अपने बयानों में अभियोजन पक्ष के पक्ष का समर्थन नहीं किया था।

5. उन्होंने आगे यह दलील दी कि दिनांक 11/11/2019 के उक्त समन आदेश के बाद, मामले को एक शिकायत मामले के तौर पर पंजीकृत किया गया था; फिर भी, माननीय विचारण न्यायालय ने पुलिस रिपोर्ट पर शुरू किए गए मामले की प्रक्रिया अपनाई। अपीलकर्ता ने दिनांक 26/5/2025 को विचारण न्यायालय के समक्ष उचित आदेश जारी करने के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया था, जिसमें यह विवादक उठाया गया था, लेकिन विद्वान विचारण न्यायालय ने दिनांक 16/2/2026 के अंतरिम आदेश द्वारा उक्त आवेदन को इस टिप्पणी के साथ खारिज कर दिया कि "वर्तमान वाद में, पुलिस रिपोर्ट और जांच के दौरान एकत्र की गई सामग्री पर विचार करने के बाद, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 190(1) (बी) के अंतर्गत संज्ञान लिया गया है। केवल इसलिए कि एक विरोध याचिका दाखिल की गई थी, इससे कार्यवाही स्वतः ही एक शिकायत मामले में परिवर्तित नहीं हो जाती। वर्तमान मामले में, समन आदेश से यह स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है कि इस न्यायालय ने पुलिस दस्तावेजों, केस डायरी, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अंतर्गत दर्ज किए गए



बयानों और जांच के दौरान एकत्र की गई अन्य सामग्री पर विचार किया। वाद के शीर्षक या पंजीकरण में मात्र एक लिपिकीय या प्रशासनिक त्रुटि कार्यवाही की वास्तविक प्रकृति को निर्धारित नहीं कर सकती।"

6. इसके बाद उन्होंने यह दलील दी कि विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ता की उस प्रार्थना को खारिज कर दिया है, जिसमें उसने शेष अभियुक्तों के गैर-जमानती वारंट पर रोक लगाने की प्रार्थना की थी। उन्होंने यह भी कहा कि अपीलकर्ता को इस मामले में पहले ही जमानत मिल चुकी है। एफ.आई.आर. या विरोध याचिका में कहीं भी यह उल्लेख नहीं है कि नामजद चार अभियुक्तों में से किसने मुखबिर की बाईं जांघ पर गोली मारकर उसे घायल किया, जो कि एक ही गोली लगने का परिणाम है, और यह बात असत्य प्रतीत होती है।

7. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि अपीलकर्ता को अपने अधिवक्ता के माध्यम से विचारण न्यायालय के समक्ष उन्मोचन हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाए, जिसका विनिश्चय विधि के अनुसार किया जाए।

8. राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गई प्रार्थना पर कोई आपत्ति नहीं उठाई। तथापि, उन्होंने यह निवेदन किया कि अपीलकर्ता सह-अभियुक्त के विरुद्ध जारी किए गए गैर-जमानती वारंट को रद्द करने की मांग न करे।



9. अपीलकर्ता को आज से 15 दिनों के भीतर अपने अधिवक्ता के माध्यम विचारण न्यायालय में उन्मोचन आवेदन दाखिल करने की अनुमति दी जाती है। यदि ऐसा कोई आवेदन दाखिल किया जाता है, तो विचारण न्यायालय जांच के दौरान एकत्रित की गई सामग्री के आधार पर, विधि के अनुसार, उन्मोचन आवेदन दाखिल करने की तिथि से एक महीने के भीतर उस पर सुनवाई करने और उसका निर्णय करने का हर संभव प्रयास करेगा।

10. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ अपील का निस्तारण किया जाता है।

(न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्र)

17 मार्च 2026

डी के/-